



ब्यूटी कुमारी

शराबबंदी ने बिहार के विकास को दी रफ्तार

शोध अध्ययनी- राजनीति विज्ञान, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया (बिहार) भारत

Received-02.11.2022, Revised-08.11.2022, Accepted-14.11.2022 E-mail: akbar786ali888@gmail.com

सारांश: शराब वैयक्तिक विघटन का ही सूचक है और इसी कारण इसे एक व्यक्तिगत समस्या न समझकर एक सामाजिक समस्या माना जाता है क्योंकि अत्यधिक शराब का सेवन केवल व्यक्ति के जीवन को ही नहीं अपितु परिवार तथा समाज के जीवन को भी विघटित करता है। शराब से व्यक्ति का नैतिक स्तर गिरता है और किसी भी प्रकार का अपराध या व्यभिचार करना उसके लिए सरल होता है। व्यक्ति जब अपनी सारी कमाई शराब पर लूटा देता है तो परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ती है जिसका बहुत बुरा प्रभाव परिवार के सदस्यों के स्वस्थ विकास पर पड़ता है और जब परिवार नष्ट होता है तो इससे समाज को भी नुकसान होता है। इसलिए शराब को एक सामाजिक समस्या ही कहना अधिक उचित होगा।

कुंजीशब्द- वैयक्तिक विघटन, व्यक्तिगत समस्या, सामाजिक समस्या, सेवन, नैतिक स्तर, अपराध, आर्थिक स्थिति, स्वस्थ।

भारत में बिहार एक ऐसा प्रदेश है, जहाँ सख्ती से शराबबंदी किया गया है। यहाँ शराबबंदी के लगभग 6 वर्ष पूरे होने को है तथा इसके परिणामों को लेकर बहस का दौर जारी है, परन्तु तमाम कुतर्कों को घटा बताते हुए शराबबंदी बिहार के विकास में बाधा की जगह प्रगति को रतार देना वाला प्रमाणित हुआ है। कोरोना काल ने जब देश के विकास का पहिया थाम दिया, उस समय भी बिहार को आगे बढ़ने से नहीं रोक सका। देश और अधिकतर प्रदेशों की विकास दर नकारात्मक रहने के बावजूद बिहार 2020-21 में 2.5 फीसदी की दर से आगे बढ़ा।

शराबबंदी के कारण नशाखोरी में आई कमी का सबसे अधिक सकारात्मक परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। राज्य की 2.5 फीसदी प्रगति में पशुपालन का बहुत बड़ा योगदान है। 2019-20 की तुलना में प्रदेश में पशुपालन की अर्थव्यवस्था 11.9 फीसदी आगे बढ़ी है। जाहिर है कि नशा से बचने के कारण बर्बाद होने वाले समय को ग्रामीणों ने पशुपालन में देकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी है। शहरों पर भी शराबबंदी का सकारात्मक पक्ष दिख रहा है। पशुपालन की तरह वित्तीय सेवाओं में भी 11.9 फीसदी की तेजी दिख रही है। जाहिर है कि वित्तीय सेवाएं ग्रामीण इलाकों की जगह शहरों में ज्यादा बढ़ी है। शराब के दुष्प्रभावों से बे-असर लोगों ने आर्थिक गतिविधियों में अपने योगदान को बढ़ाया है। वित्तीय सेवाओं के विस्तार के रूप में इसके परिणाम दिख रहे हैं।

जीविका दीदीयों ने किया हजारों करोड़ का कारोबार- शराबबंदी के बाद गाँवों में जीविका दीदीयों ने बैंकों से 16.537 हजार करोड़ का लेन-देन किया। 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रमुखता से इसे दर्शाया गया है। सकारात्मक बने माहौल के कारण जीविका के अलावा, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण तथा पंचायती राज संस्थाओं को मेजी जानी वाली राशि का गाँवों में आर्थिक गतिविधि बढ़ाने में पूरा उपयोग किया गया है। ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्यमियों, खासकर किराना दुकान से जुड़ी महिलाओं को उचित दर पर गुणवत्तायुक्त सामग्री की आपूर्ति के लिए 68 रूरल रिटेल मार्ट का संचालन किया जा रहा है। इनमें 50 मार्ट वर्तमान वित्तीय वर्ष में खोले जाएंगे।

शराबबंदी कानून के उल्लंघन में साढ़ने तीन लाख से ज्यादा गिरतारी- बिहार में शराबबंदी कानून को लागू हुए 6 वर्ष होनेवाले हैं। इस दौरान शराबबंदी कानून के उल्लंघन पर पुलिस द्वारा बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। बिहार पुलिस ने अप्रैल 2016 से जनवरी 2022 तक 3,55,213 लोगों को कानून तोड़ने के आरोप में गिरतार किया। सबसे अधिक 82,903 गिरतारी पिछले वर्ष हुई।

2.72 लाख से अधिक केस- अप्रैल 2016 से जनवरी 2022 तक शराबबंदी कानून के तहत 2,72,389 प्राथमिकी दर्ज की है। इस दौरान सर्वाधिक 66,258 एफआईआर वर्ष 2021 में दर्ज की गई। जानकारी के मुताबिक अप्रैल 2016 से दिसम्बर 2017 के बीच शराबबंदी कानून के तहत 53,139 मामले दर्ज किए गए।

विदेशी शराब ज्यादा बरामद- शराबबंदी के बाद बिहार में भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई है। 6 वर्षों में 1,56,59,44 लीटर शराब बरामद की गई। इसमें 50,81,383 लीटर देशी तो 105,78,060 लीटर विदेशी शराब शामिल है। इस दौरान सबसे अधिक साल 2021 में 29,74,727 लीटर विदेशी एवं 15,62,354 लीटर देशी शराब बरामद हुई थी।

54 हजार से अधिक वाहन जब्त- पुलिस ने शराब तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे 54 हजार से अधिक वाहनों को जब्त किया है। अप्रैल 2016 से जनवरी 2022 के बीच 54,260 छोटे बड़े वाहन जब्त किए गए। राज्य की अदालतों में एक लाख अस्सी हजार से अधिक मामले लंबित हैं।



बिहार शराबबंदी कानून में संशोधन कर रही सरकार— सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से कहा है कि वह ऐसा तंत्र बनाए जिससे शराबबंदी कानून के कारण अदालतों पर पड़े बोझ को कम किया जा सके।

सरकार ने कहा कि इस कानून को हलका किया जा रहा है जिससे आरोपियों को जमानत शीघ्र मिले। जस्टिस एसके कॉल की पीठ ने राज्य सरकार को अप्रैल तक समय दिया और कहा है कि सरकार बताए कि मद्य निषेध कानून में क्या संशोधन किए गए हैं। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने चिंता जताई थी कि सरकारें कानून बना देती है लेकिन यह नहीं देखती कि उसका न्यायिक व्यवस्था पर कितना बोझ पड़ेगा। पटना उच्च न्यायालय में 16-16 जज सिर्फ इस कानून के तहत दर्ज मामलों में जमानत की अर्जियों पर सुनवाई करते रहते हैं।

प्रतिनिधिमंडल बिहार पहुँचा, सीएम से की भेंट— बिहार में लागू पूर्ण शराबबंदी के सफल क्रियान्वयन की बारीकियों का अध्ययन करने के लिए राजस्थान सरकार ने अपना प्रतिनिधिमंडल बिहार भेजा है। प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से भी भेंट की। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अध्ययन दल को पूरा सहयोग दें। राज्य में पूर्ण शराबबंदी के सफल क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएँ। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार आबकारी एवं मद्य संयम नीति के प्रावधानों के तहत शराबबंदी की माँग से जुड़े व्यावहारिक पहलू ऑपर अध्ययन करने के लिए यह दल बिहार दौरे पर आया है। राजस्थान से आये दल में आबकारी विभाग द्वारा गठित समिति के विभागीय अधिकारी विजय जोशी तथा शराबबंदी आंदोलन एवं संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा भारती छावड़ा सहित तीन प्रतिनिधि शामिल हैं।

प्रतिनिधिमंडल अपने दौरे के दौरान बिहार राज्य में लागू शराबबंदी के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श एवं अध्ययन कर जानकारी लेगा। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के तहत राज्य में लागू शराब एवं मादक द्रव्य के पूर्ण प्रतिबंध के सफल क्रियान्वयन का अध्ययन करेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. प्रसाद, धनेश्वर— शराबबंदी — एक फौलादी फैसला— 2018, प्रभात प्रकाशन।
2. शंगारी, टी0 आर0— स्वास्थ्य।
3. श्रीवास्तव, आशीष लाल— मुगल कालीन भारत (1526 से 1803 ई0)।
4. Alcohol addiction-by charlie Mason.
